न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—312/2019/223 (2019/00312)

1. शंकर सिंह पुत्र स्व0 सुवासिंह उर्फ सुवा उर्फ सुखा,
2. श्रीमती बादामी बेवा स्व0 सुवासिंह उर्फ सुखा,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम गढ़ी थोरियान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सुरेश पुत्र मोटसिंह,
2. नीम्बसिंह पुत्र मोटसिंह,
3. नैनासिंह पुत्र मोटसिंह,
4. बाबूसिंह पुत्र मोटसिंह,
5. कालूसिंह पुत्र हजारीसिंह,
6. छोटूसिंह पुत्र हजारीसिंह,
7. श्रीमती सोहनी बेवा किशनसिंह,
8. परमेश्वर पुत्र किशनसिंह,
   समस्त जाति रावत, नि0 बाड़ी घाटी, ग्राम गढ़ी थोरियान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर ।
10. उप पंजीयक, ब्यावर, जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 13.8.2019 अंतर्गत वाद संख्या 108/2017.

उपस्थितः—

1. श्री जमील जई, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 8 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 एवं 11.

निर्णय

दिनांकः— 30.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 13.8.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है । व
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा

136 राज0भू–राजव अधि0 1956 के तहत वाद वर्णित भूमियों बाबत् पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमियां मौजा गढ़ी थोरियान, तह0 ब्यावर में अवस्थित है । वादवर्णित संपूर्ण आराजियात के खातेदार काश्तकार वादीगण के दादा/ससुर स्व0 मेन्दू वल्द भीमा एवं वादी के पिता स्व0 सुवासिंह उर्फ सुवा उर्फ सुखा पुत्र मेन्दू थे । साबिक खसरा नंबर 362/1156, 363, 427, 437, 453 वादीगण के दादा/ससुर स्व0 मेन्दू के नाम अंकित चली आ रही थी जो खतौनी जमाबंदी फसली 1350 से प्रमाणित है । इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 344 व 347 वादीगण के पिता/पति स्व0 सुवासिंह उर्फ सुवा उर्फ सुखा के नाम अंकित चली आ रही थी, जो कि जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 से प्रमाणित है । उक्त साबिक खसरा नंबर 344 व 347 वादीगण के पिता/पति के हिस्से में आई हुई थी तथा उपरोक्त आराजियात उन्हीं के कब्जे अधिकार काश्त में चली आ रही थी । मेन्दू व उनके पुत्र सुवासिंह उर्फ सुवा उर्फ सुखा का स्वर्गवास हो चुका है । वादीगण ने वादपत्र में मेन्दू का सजरा अंकित कर कथन किया कि मेन्दू तथा उसकी पत्नि के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त संपूर्ण आराजियात के खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता/पति सुवासिंह उर्फ सुवाा उर्फ सुखा हो गये तथा सुवासिंह उर्फ सुवा उर्फ सुखा के वारिसान के पश्चात् संपूर्ण आराजियात के खातेदार उनके वारिसान पत्नि बादामी व पुत्र वादीगण हो गये तथा उपरोक्त आराजियात वादीगण के कब्जे काश्त में उनके पिता/पति के जीवनकाल से ही चली आ रही है । अपीलांटस ग्रामीण परिवेश व्यक्ि है और इनके पिता व पति स्व0 सुवासिंह उर्फ सुवा उर्फ सुखा भी ग्रामीण परिवेश में ही रहे और इस विश्वास में कि उपरोक्त आराजियात उनके नाम पुरखों से अंकित चली आ रही है जो राजस्व रिकार्ड में कायम रहती है । उन्हें यह कभी भी अंदेशा नहीं रहा कि वादपत्र में अंकित प्रतिवादीगण मौजूदा प्रत्यर्थीगण उनके साथ कोई मन–मुटाव रखते हुए अपीलांटस कोउनके उचित कब्जे काश्त की खातेदारी को कभी भी स्पष्ट नहीं होने दिया । अपीलांटस ने अपने रिकार्ड को दुरूस्त कराने हेतु प्रतिवादीगण को निवेदन किया किन्तु ये लोग इंकार हो गये इस कारण अधी0न्याया0 के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है । अंत में वाद वादीगण स्वीकार करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 6, 8 से 10 व 15 से 18 द्वारा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 12 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत पेश किया है उसमें से उत्तरदाता प्रतिवादीगण केवल मात्र वादपत्र की चरण संख्या 1 (घ) में वर्णित साबिक खसरा नंबर 362/1156 हाल खसरा नंबर 544 रकबा 1–6–10 से संबंधित है । अन्य विवादित भूमियां वादपत्र की चरण संख्या 1 (क), (ख), (ग), (ड) व (च) में वर्णित भूमियों से कोई संबंध व सरोकार नहीं है इसलिये इनके जवाबदावे के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किया जाता है । दावे में वर्णित चरण संख्या 1 (घ) के विषय में वादीगण अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने तथा रिकार्ड दुरूस्ती करवाने में किस प्रकार से अधिकार है, उसके विषय में कोई तथ्य अंकित नहीं किये है और केवल मात्र गलत व रिकार्ड से विरूद्ध संभावनायें व्यक्त करते हुए घोषणा व निषेधाज्ञा की मांग की है । वादीगण ने अपने वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड की नकले पेश की है उसमें वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संख्या 2020–23 के विशेष कॉलम संख्या 16 में दाखिल खारिज संख्या 168 दिनांक 28.11.1964 के द्वारा विवादित साबिक खसरा संख्या 362/1156 रकबा 1–8–10 बेचान से हजारी पुत्र रूपा व बाला पुत्र पहाड़ा रावत का नाम दर्ज करने का अमल दरामद हुआ है और

बाकायदा दाखिल खारिज खोला गया है । इस कारण से न तो कोई इंद्राज दुरूस्ती की आवश्यकता है और न ही घोषणा की आवश्यकता है इसलिये वाद खारिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 13.8.2019 द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण के वाद में से विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 362/1156 हाल खसरा नंबर 544 रकबा 1–6–10 की सीमा तक वाद पत्र खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 से 6 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों पर विश्वास कर वाद में किसी भी प्रकार से मेरिट पर सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांटस द्वारा अपने वाद में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है उन पर तनकियात कायम किये जाने एवं जवाबदावा आने से पूर्व किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था । बहस में कथन किया कि तथाकथित बेचान किया जाना बताया गया है वह प्रारंभ से फर्जी, बनावटी व कूटरचित है जिसकी कोई भी जानकारी वादीगण को नहीं रही है। उक्त इकरारनामे में सुवासिंह उर्फ सुवा उर्फ सुखा द्वारा हस्ताक्षर किया जाना बताया गया है जबकि सुवासिंह उर्फ सुवा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे । तथाकथित इकरारनामा बेचाननामे की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । वादीगण के पिता/पति द्वारा किसी भी भूमि का कभी भी विक्रय नहीं किया गया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपंजीकृत दस्तावेजात को साक्ष्य में ग्राह्य करते हुए प्रत्यर्थीगण की आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जो आदेश पारित करते हुए अपीलांट के वाद में साबिक खसरा नंबर 362/1156 हाल खसरा नंबर 544 रकबा 1–6–10 बाबत् वादकारण नहीं मानने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने आदेश में 100/–रू0 से कम के मूल्य की प्रोपर्टी का पंजीयन करवाना आवश्यक नहीं मानने का जो उल्लेख किया है, ऐसे किसी भी तरह की निष्कर्षपूर्ण राय देना उक्त स्तर पर संवैधानिक नही है । अधी0न्याया0 द्वारा आदेश दिनांक 13.8.2019 में प्रत्यर्थीगण के तथाकथित कथन को समर्थित करते हुए अपंजीकृत बेचाननामा दिनांक 10.8.1964 पर अपनी राय प्रकट की है व कतई संवैधानिक नहीं है ˙ अधी0न्याया0 को राय प्रकट करने के बजाय ऐसे दस्तावेजो हेतु प्रावधानों में प्रावधित शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित विभाग को बेचाननामा अग्रेषित किया जाकर मुद्रांकित कराये जाने हेतु आदेश पारित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने प्रकरण में जवाबदावा प्राप्त किये बिना तथा बिना तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वादी के वाद को खसरा नंबर 362/1156 हाल खसरा नंबर 544 रकबा 1–6–10 बाबत् निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2016 (4) पेज 1515, डी0एन0जे0 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 675 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादीगण/अपीलांटस

ने अपने आपको वादग्रस्त आराजियात का खातेदार घोषित कराने तथा रिकार्ड दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है किन्तु वादीगण ने अपने वादपत्र में यह अंकित नहीं किया है कि वे किस प्रकार उक्त अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है । वादीगण ने केवल मात्र गलत व रिकार्ड से विरूद्ध संभावनायें व्यक्त करते हुए घोषणा व इंद्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । वादीगण ने अपने वादपत्र में कोई स्पष्ट वादकारण अंकित नहीं किया है जिससे वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत विधि द्वारा वर्जित होने से अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने अपनी बहस में अपीलमीमों अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील में वर्णित संपूर्ण आराजियात की खातेदार वादीगण/अपीलांटस के पूर्वज मेन्दू वल्द भीमा एवं सुवा सिंह उर्फ सुवा उर्फ सुखा पुत्र मेन्दू थे । अपीलाधीन भूमि पूर्वजों के नाम अंकित चली आ रही थी इस संबंध में खतौनी जमाबंदी संवत् 1350 फसली, जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 पेश की परन्तु वर्तमान अभिलेख में गलत तौर से साबिक खसरा नबर 362/1156 हाल खसरा नंबर 544 रकबा 1–6–10 भूमि प्रतिवादी संख्या 6, 8 से 10 व 15 से 18 के नाम दर्ज कर दी गई है । इस कारण वाद प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष उपरोक्त प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 362/1156 हाल खसरा नंबर 544 रकबा 1–6–10 दिनांक 10.8.1964 को 99/–रू0 में क्रय किया गया था इस आशय का इकरारनामा/बैचाननामा निष्पादित किया गया था । यह भी कथन किया कि ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार 100/–रू0 कम मूल्य की अचल सम्पति के हस्तातंरण का पंजीयन आवश्यक नहीं है । दस्तावेज दिनांक 10.8.1964 का है । वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया गया है एवं निवेदन किया कि साबिक खसरा नंबर 544 की सीमा तक वाद को निरस्त किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में खाता संख्या 180, 177, 82, 317, 183, 356 ग्राम गढ़ी थोरियान, तह0 ब्यावर के संबंध में घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था । प्रतिवादी द्वारा मात्र एक खसरा नंबर 544 के संबंध में वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है जबकि वाद के अधीन सभी खसरान नंबरान बाबत् कोई उजरात प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के माध्यम से विधि द्वारा वर्जित होने के संबंध में नहीं उठाये गये थे । अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के माध्यम से केवल मात्र एक खसरा नंबर के संबधं में तथ्यात्मक उजरात के आधार पर खसरा नंबर 544 को वादपत्र से हटाये जाने का आदेश दिया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है एवं आंशिक वाद निरस्त किया जाना भी विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है । खसरा नंबर 544 के संबंध में उठाये गये समस्त ऐतराज तथ्यों एवं विधि के मिश्रित प्रश्न है जो साक्ष्य उपरांत ही तय किये जा सकते है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसंगत प्रतीत नहीं होने से अपास्त योग्य पाया जाता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कल्क्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश

दिनांक 13.8.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर